



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2014-आश्विन 18, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम श्रीमती सुनीला चौबे पत्नी श्री अरविन्द चौबे (Smt. Sunila Choubey W/o Shri Arvind Choubey) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित श्रीमती साक्षी चौबे पत्नी श्री अरविन्द चौबे (Smt. Sakshi Choubey W/o Shri Arvind Choubey) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम श्रीमती साक्षी चौबे पत्नी श्री अरविन्द चौबे (Smt. Sakshi Choubey W/o Shri Arvind Choubey) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(सुनीला चौबे)

नया नाम :

(साक्षी चौबे)

93, शिवलोक फेस-5,
अवधपुरी के पास, दीपनगर,
बी. डी. ए. रोड, भेल, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(363-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र तनय दरडा का जन्म से ही उसका नाम तनय दरडा है. इसके पश्चात् नाम संस्करण में मेरे पुत्र का तनय जैन रखा गया है. मेरे पुत्र तनय दरडा का नाम परिवर्तित कर तनय जैन रखा गया है तथा आगे इसी नाम से जाना, पहचाना जाएगा. आगे से भविष्य में मेरे पुत्र को तनय जैन के नाम से जाना जावे. यह विदित हो.

राहुल जैन,

पुत्र श्री विमल चन्द्र जैन

निवासी—26, बक्षी कॉलोनी एक्सटेंशन,

सदर बाजार, इन्दौर.

(364-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का स्कूल में नाम गर्व जसेजा है और जन्म प्रमाण-पत्र में आकाश जसेजा है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में उसे आकाश जसेजा पुत्र अनिल जसेजा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

(365-बी.)

अनिल जसेजा,

पता-हरिशंकरपुरम, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का स्कूल में नाम लव जसेजा है और जन्म प्रमाण-पत्र में साहिल जसेजा है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में उसे साहिल जसेजा पुत्र दीपक जसेजा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

(370-बी.)

दीपक जसेजा,

पता-हरिशंकरपुरम, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, गीता वर्धानी ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर दिव्या बासरिमलानी कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(गीता वर्धानी)

(GEETA VARDHANI)

(367-बी.)

नया नाम :

(दिव्या बासरिमलानी)

(DIVYA BASRIMALANI)

पता—50, अशोकनगर, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कु. भावना गुवालानी पुत्री श्री विनोद कुमार गुवालानी, निवासी एफ-02/7, बैरागढ़, भोपाल एतद्वारा घोषित करती हूँ कि जन्म के समय औपचारिक रूप से परिवार में मेरा नाम " भूमिका " प्रचलित रहा किन्तु स्कूल में शिक्षा हेतु प्रवेश के पूर्व मेरा विधिवत् नामकरण संस्कार हुआ था, जिसमें मेरा नाम 'कु. भावना' रखा गया था और वर्तमान में मैं "कु. भावना गुवालानी" के नाम से ही जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(भूमिका गुवालानी)

(372-बी.)

नया नाम :

(भावना गुवालानी)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स विवस्वान ट्रेडर्स स्थित मकान नं. 67, कृष्णापुरी, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) में दिनांक 21-10-2010 को फर्म का विघटन (साझेदारी समाप्ती) हो गई है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

(369-बी.)

शैलेश शर्मा,

फर्म विवस्वान ट्रेडर्स,

67, कृष्णापुरी, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.)

द्वारा—अजय जादौन (एडवोकेट),

सुरेश नगर, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर.

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that M/s STHAPAK ENGINEERING SERVICES is a partnership firm which was reconstituted on 29-07-2014 due to retirement of one of the partner Mr. Prashant Sthapak by virtue of deed of retirement executed amongst themselves on 29-07-2014. The Retiring Partner has agreed that he will not use the name of the Firm and will not carry on the same or similar business. From the date of the reconstitution, the new partner as per the deed shall be a partner with the existing partner subject to the terms and conditions of the said partnership deed. The Retiring Partner has agreed that he will not use the name of the Firm and will not carry on the same or similar business. From the date of the reconstitution, the new partner as per the deed shall be a partner with the existing partner subject to

the terms and conditions of the said partnership deed. The retiring partner has retired and shall be deemed to have retired from the said partnership and has agreed that continuing partner, along with the new partner, will hold the same absolutely forever together with the all rights, title, lien, easements, advantages and appurtenances etc., without any further claim and interference from him or by any person or persons under him. By this notice my clients Mr. R.K.Sthapak and Saurabh Sthapak informs the public in general that, they are the only partners of M/s STHAPAK ENGINEERING SERVICES.

GAZALA KHAN
(Advocate)

(368-B.)

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Shri Bhanwarlal Jain S/o Shri Jawaharlal Jain, Shri Anoop Kumar Jain S/o Shri Jawaharlal Jain, Shri Arvind Kumar Jain S/o Shri Sajjanraj Jain, Smt. Shashi Jain W/o Shri Padamchand Jain and Smt. Ratankanwar Jain W/o Shri Sureshchand Jain has retired from the partnership business of the firm named M/s JAWAHAR UDYOG, 39, SAJAN NAGAR, INDORE (MP) as partner *vide* regn. No. 632 dated : 23/06/1984 year : 1984-85 as from 01/04/1998 & Shri Ashok Kumar Jain S/o Shri Kalyanmal Jain and Shri Sharad Kumar Jain S/o Shri Kalyanmal Jain have been admitted in the partnership business of the said firm as a partner as from 01/04/1998 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For : M/s JAWAHAR UDYOG

KALYANMAL JAIN
(PARTNER).

(371-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन

गौहरगंज, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1), पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जैसाकि आवेदक "Qari Siddique Ahmed Bandvi Education & Charitable Trust" नन्दोरा पोस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति, संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "Qari Siddique Ahmed Bandvi Education & Charitable Trust"
नन्दोरा पोस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट (म. प्र.)
- कार्यालय का पता : नन्दोरा पोस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन (म. प्र.)
2. अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक
3. चल सम्पत्ति : 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये) बैंक खाते में.

राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(783)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर

आगर, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

रा. प्र. क्र. 2/बी-113/2013-14.

प्ररूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक, आगर, जिला आगर मालवा के समक्ष.

अतः कि श्री शांतिलाल जैन पिता श्री ओंकारलाल जैन, जाति महाजन, निवासी कस्बा आगर, तहसील आगर, जिला आगर (म. प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में ओंकारबिन्दु चेरिटेबल ट्रस्ट, कस्बा आगर, तहसील आगर, जिला आगर (म. प्र.) में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता : ओंकारबिन्दु चेरिटेबल ट्रस्ट, कस्बा आगर, तहसील आगर, जिला आगर (म. प्र.) में चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रुपये 500.00 नगदी (अक्षरी रुपये पाँच सौ मात्र).

जी. एस. डावर,
पंजीयक.

(784)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 31/बी-113/2013-14.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक श्री आनंदशंकर पिता स्व. संकर्षणजी व्यास, निवासी—आनंद भवन, उज्जैन आदि ने श्री गोपाल कृष्ण सेवा ट्रस्ट, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री राम मंदिर (धर्मशाला) मालवीय बलाई समाज, उज्जैन.
कार्यालय	..	3/1, भेरूनाला, ईमलीपुरा, तिलकेश्वर मार्ग, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक है.
चल सम्पत्ति	..	निरंक है.

(785)

उज्जैन, दिनांक 18 सितम्बर, 2014

प्र. क्र. 28/बी-113/2013-14.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री आनंदशंकर पिता स्व. संकर्षणजी व्यास, निवासी—आनंद भवन, उज्जैन आदि ने श्री गोपाल कृष्ण सेवा ट्रस्ट, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री राम मंदिर धार्मिक व पारमार्थिक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	..	182 दुधतलाई, दौलतगंज, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	श्री मूर्ति राम मंदिर 182, दुधतलाई उज्जैन की संपत्ति.
चल सम्पत्ति	..	मंदिर के घंटा, घड़ियाल और पूजन बर्तन आदि अनुमानित कीमत 10,000/- रुपये.

(785-A)

श्रीलेन्द्रसिंह सोलंकी,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (शहर) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक श्री एम. एम. वासवानी, संरक्षक मंदिर, श्री शीतलदास की बगिया, जनसेवा न्यास, कमला पार्क, भोपाल द्वारा उपस्थित होकर मंदिर श्री शीतलदास की बगिया जनसेवा न्यास, कमला पार्क, भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	मंदिर श्री शीतलदास की बगिया जनसेवा न्यास, कमला पार्क, भोपाल.
कार्यालय का पता	..	शीतलदास की बगिया, कमला पार्क, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	रु. 2,100/-

संदीप केरकेट्टा,
रजिस्ट्रार.

(790)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

प्र. क्र.01/बी-113/2013-14.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 का नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक श्री प्रदीप कुमार मित्तल पुत्र स्व. श्री परमेश्वर लाल मित्तल, निवासी—एम. आई. जी. 25-26, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी द्वारा श्री परमेश्वर लाल मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट, एम. आई. जी. 25-26, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी द्वारा मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम और पता	..	श्री परमेश्वरलाल मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट, एम. आई. जी. 25-26, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी, मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	..	कोई नहीं.
अचल सम्पत्ति	..	कोई नहीं.

न्यास की आय के स्रोत न्यासीगण का अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां औसत सकल वार्षिक आय-लगभग 1 लाख रुपये स्थापना एवं कर्मचारीवृन्द पर पाँच लाख रुपये.

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

एस. यू. सैयद,
अनुविभागीय अधिकारी.

(791)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, तहसील बुधनी, जिला सीहोर

[देखिए नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-3 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, तहसील बुधनी, जिला सीहोर के समक्ष.

यह कि नर्मदा सेवा ट्रस्ट, ग्राम बगवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म. प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 07 अक्टूबर, 2014वें दिवस मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	..	नर्मदा सेवा ट्रस्ट, ग्राम बगवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर.
1. चल सम्पत्ति	..	निरंक.
2. अचल सम्पत्ति	..	भूमि खसरा नं. 289/2, रकबा 0.676 हैक्टेयर में से 10,000 वर्ग फुट.

बृजेश सक्सेना,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(795)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पलासडोर का पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पलासडोर को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुभाष कार्णिक, S. C. I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

(786)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

माही प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 17 मई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माही प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एल. सोलंकी, A. O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है।

(786-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुरिया का पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी। निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुरिया को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौहान, S. C. I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है।

(786-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्यादित, बोराली का पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 13 मई, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी। निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदिवासी मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्यादित, बोराली को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गोविंद गुण्डिया, C. I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है।

(786-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

राजीव गाँधी प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की

समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत राजीव गाँधी प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गोविंद गुण्डिया को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

(786-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, ताण्डागोली का पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, ताण्डागोली को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मुवेल, S. C. I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

(786-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 29 मार्च, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/407, झाबुआ दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश वास्कले, S. C. I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अगस्त, 2014 को जारी किया गया है.

(786-F)

लक्ष्मी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, नवापाड़ा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्र. 1069, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/304, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(792)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिण्डल, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्र. 1013, दिनांक 12 अप्रैल, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/278, दिनांक 28 मार्च, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन से लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(792-A)

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 08 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./14/1297.— इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/513, रायसेन, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देहगवां, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 13 फरवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र निम्नानुसार है :-

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी। सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि, विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी। कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देहगवां, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती अनिमा मिंज, सहकारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया था कि, आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये। किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है। आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा

सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह दिखलाई पड़ता है कि आपकी संस्था द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है अथवा सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित को ना कि साधारणतः सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही है तथा सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवेदन/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था किन्तु संस्था के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह संतोषप्रद नहीं है और न ही प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देहगवां, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 13 फरवरी, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(787)

रायसेन, दिनांक 08 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./14/1299.— इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/537, रायसेन, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा जय माँ काली उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 01 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र निम्नानुसार है :—

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी। सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि, विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी। कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा जय माँ काली उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त श्री के. सी. यादव, सहकारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया था कि, आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये। किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है। आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह दिखलाई पड़ता है कि आपकी संस्था द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है अथवा सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित को ना कि साधारणतः सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही है तथा सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवेदन/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था किन्तु संस्था के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह संतोषप्रद नहीं है और न ही प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99

-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जय माँ काली उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 01 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(787-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2040.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बेरछी, जिसका पंजीयन क्रमांक 782, दिनांक 24 मार्च, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(788)

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2041.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बीसनखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 830, दिनांक 25 फरवरी, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(788-A)

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2042.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गांगल्याखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 06 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(788-B)

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2043.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चुनाखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1006, दिनांक 04 मई, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(788-C)

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2044.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा मारुती महिला बहुउद्देशीय दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ढाबलाहर्दू, तह. महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1741, दिनांक 03 मार्च, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(788-D)

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2045.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा समृद्धि साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 13 जुलाई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(788-E)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2014/867, उज्जैन, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुमंगलम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	127/16-03-1963	520/01-03-2013
2.	दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1488/06-07-1998	520/01-03-2013
3.	जन्मेजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा	65/25-09-1979	520/01-03-2013
4.	बी.सी.आई. स्टॉफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा	1484/09-06-1998	520/01-03-2013
5.	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा	186/16-03-2002	520/01-03-2013
6.	शासकीय लघु वेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, बड़नगर.	123/29-01-1989	520/01-03-2013

अतः मैं, दिलीप असरानी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 27 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

दिलीप असरानी,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(789)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 04 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र/परि./2014/818.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1291, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा संस्था ओम शिव महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., वार्ड क्र. 23, खजूरी टोला, सतना, पंजीयन क्र. 287, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए ओम शिव महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., वार्ड क्र. 23, खजूरी टोला, सतना, जिला सतना, पंजीयन क्र. 287, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(793)

सतना, दिनांक 04 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र/परि./2014/819.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1292, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा संस्था महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., पूर्वी क्षेत्र (वार्ड क्र. 41), सतना, पंजीयन क्र. 145, दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., पूर्वी क्षेत्र (वार्ड क्र. 41), सतना, जिला सतना, पंजीयन क्र. 145, दिनांक 30 नवम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(793-A)

सतना, दिनांक 04 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र/परि./2014/820.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1291, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा संस्था क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., डांडीटोला, वि. खं. सोहावल, पंजीयन क्र. 533, दिनांक 30 जून, 2006 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., डांडीटोला, वि. खं. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्र. 533, दिनांक 30 जून, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(793-B)

आर. पी. पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रामकृष्ण कृष्णलाल, अध्यक्ष,
शांतनू साख सहकारिता मर्यादित, झण्डा चौक, खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

शांतनू साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-शांतनू साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 104, दिनांक 02 जून, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1806, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री विशाल जगजीवन, अध्यक्ष,
वैभव लक्ष्मी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

वैभव लक्ष्मी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन, (संशोधित नाम-वैभव लक्ष्मी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 106, दिनांक 20 जून, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1808, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री श्याम सुन्दर राधाकृष्ण, अध्यक्ष,
महाप्रभुजी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

महाप्रभुजी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-महाप्रभुजी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 107, दिनांक 04 जुलाई, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1809, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री राजेन्द्र गणपत, अध्यक्ष,
नर्मदा साख सहकारिता मर्यादित, कसरावद,
नगरपालिका कॉम्प्लेक्स, कसरावद,
तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन.

नर्मदा साख सहकारिता मर्यादित, कसरावद, (संशोधित नाम-नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्यादित, कसरावद) तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 108, दिनांक 11 जुलाई, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1810, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे

केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री हुकुमचंद गणपत, अध्यक्ष,
नर्मदा बायोप्रोड्युक्ट सहकारिता मर्यादित, बडूद,
तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन.

नर्मदा बायोप्रोड्युक्ट सहकारिता मर्यादित, बडूद, (संशोधित नाम-नर्मदा बायोप्रोड्युक्ट सहकारी संस्था मर्यादित, बडूद) तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 21 जुलाई, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1811, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री ओमप्रकाश भाईराम, अध्यक्ष,
जयदेव साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन
16, नुतन नगर, खरगोन
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

जयदेव साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-जयदेव साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 113, दिनांक 10 नवम्बर, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1815, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री सुरेश रमेशचन्द्र जैन, अध्यक्ष,
दक्षायणी बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, बड़वाह,
तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन.

दक्षायणी बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, बड़वाह, (संशोधित नाम-दक्षायणी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 14 नवम्बर, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1816, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(794-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री नीतिन भैरूलाल बसैर, अध्यक्ष,
चैतन्य साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,
गौर ट्रेवल्स, खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

चैतन्य साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-चैतन्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 115, दिनांक 24 नवम्बर, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1817, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है।
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(794-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री अनिल दत्तात्रय ठक्कर, अध्यक्ष,
गोविन्द माधव साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,
तालाब चौक, खरगोन
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

गोविन्द माधव साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, (संशोधित नाम-गोविन्द माधव साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 116, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1818, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है।
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794- H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार, अध्यक्ष,
श्री दत्त साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन,
सिद्धविनायक कॉम्प्लेक्स, नुतन नगर, खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री दत्त साख सहकारिता मर्यादित, बड़वाह, (संशोधित नाम-श्री दत्त साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वाह) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 118, दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1820, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794- I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री मोहन रतीराम राठौर, अध्यक्ष,
देवी अहिल्या मुद्रणालय को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन,
पुराने पुल के पास औरगपुरा, खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

देवी अहिल्या मुद्रणालय को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन, (संशोधित नाम-देवी अहिल्या मुद्रणालय को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन)

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1821, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794- J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री विजय गोविन्द, अध्यक्ष,
श्री ऊँ साईं क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन,
तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

श्री ऊँ साईं क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन, (संशोधित नाम-श्री ऊँ साईं क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगोन) तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 121, दिनांक 03 मार्च, 2007 (संशोधित पंजीयन क्रमांक 1822, दिनांक 10 मार्च, 2014) है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था अकार्यशील होकर बंद है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.
6. संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षों के वार्षिक पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गमित करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(794- K)

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2014-आश्विन 18, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 जून, 2014

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सागर, रीवा, मंदसौर, उज्जैन, अलीराजपुर, रायसेन, जबलपुर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बीना, बंडा, सागर, रहली गढ़ाकोटा (सागर), त्यौंथर, सिरमौर, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), मंदसौर (मंदसौर), बड़नगर, नागदा (उज्जैन), जोबट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, सोण्डवा, उदयगढ़, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), सिलवानी (रायसेन), पाटन (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील नईगढ़ी (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.— . . .

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील हनुमना (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, मंदसौर, झाबुआ, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.— . . .

4. फसल स्थिति.— . . .

5. कटाई.—जिला बैतूल में जायद फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 11 जून, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भिण्ड	..		(2) ..		
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		राई-सरसों, उपलसी, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्ौर	..		बटरी, आलू, प्याज अधिक.		
4. पवई	..		धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल,		
5. शाहनगर	..		गेहूँ, जौ कम.		
			(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	4.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	11.2		समान.		
4. सागर	6.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	3.2				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	4.0				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) उड़द, मूंग, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	11.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	2.4		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) ..		
4. हनुमना	59.2				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. नई गढ़ी	19.0				
8. रायपुरकर्चुलियान	14.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		तिवड़ा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बुढ़ार	..		(2) ..		
4. जैसिंहनगर	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	5.0				
6. शामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धुका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..		(2) ..		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	13.0				
7. नागदा	10.0				
*जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बडौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		मसूर, गेहूँ, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..		(2) ..		
4. पागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	2.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. अलीराजपुर	1.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	5.0				
4. सोण्डवा	10.0				
5. उदयगढ़	2.0				
6. च.शे.आ. नगर	13.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुशी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		राई-सरसों समान.		
4. खरगौन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
*जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	5.0				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य एवं जायद फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	3.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, मटर, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..		(2) ..		
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) मक्का, धान, मूँग, उड़द, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप. — *जिला भिण्ड, अशोकनगर, सतना, आगर, राजगढ़, सीहोर, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(782)